संख्या– 675 /3987/स0ना0उ0/पी0एस0/(कैम्प)/2004–2005

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तरांचल, देहरादून।

नागरिक उड्डयन विभाग

देहरादून:दिनॉक 15 फरवरी,2005

विषयः– **जौलीग्राण्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के फलस्वरुप नलकूप खण्ड, देहरादून के अर्न्तगत विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला में प्रभावित नलकूप संख्या–1 टी0जी0के गूल के पुननिर्माण कार्यो के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवम वित्तीय स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी,देहरादून के पत्र संख्या– 981/आठ–वि0भू0अ0अ0/देहरादून/2004,दिनॉक 15–1–2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जौलीग्राण्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के फलस्वरूप नलकूप खण्ड, देहरादून के अर्न्तगत विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला में प्रभावित नलकूप संख्या–1 टी0जी0 के गूल के पुर्ननिर्माण कार्यो के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, देहरादून द्वारा गठित रू0 3053000.00(रुपये तीस लाख तिरेपन हजार मात्र ) की लागत के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 3037000.00 (रूपये तीस लाख सैतीस हजार मात्र) के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त शासनादेश द्वारा अलग से धनराशि के व्यय की स्वीकृति नहीं दी जा रही है वरन शासनादेश संख्या–470/61/बजट/स0ना0उ0/2004–2005 दिनांक 7–10–2004 के द्वारा निदेशक नागरिक उड्डयन के निवर्तन पर रखी गई धनराशि से ही व्यय किया जायेगा।

3. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4. उपरोक्त कार्यो हेतु निर्धारित निर्माण इकाई को आवंटित धनराशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित कार्यदायी निर्माण इकाई के सक्षम अधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. निर्माण कार्य कराते समय नियमानुसार स्टोर परचेज नियमों का विशेष ध्यान रखा जाये।

6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों/निर्देशों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की ली जाये।

7 कार्य कराने से पूर्व एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

8. धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चत किया जायेगा।

9. कार्य करने से पूर्व स्थल का भलीं–भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवशय करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायेगा।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को ही उपयोग में लाया जाये।

11. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उक्तानुसार अनुमोदित मदों पर ही किया जाये। अन्यत्र मदों में धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

12. आवंटित धनराशि का दिनांक 31–3–2005 तक पूर्ण उपयोग कर उसके कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना नियमित रूप से मास में एक बार निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यदि दिनांक 31–3–2005 तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. कार्य अनुमोदित आगणन की सीमान्तर्गत ही कराये जायें, किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणन/ अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्यदायी संस्था/इकाई द्वारा निर्दिष्ट मदों/कार्यों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मद को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

14. कार्यदायी इकाई को आवंटित कार्य को शासन द्वारा निश्चित समयसीमा में पूर्ण कराया जाना होगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी, कार्यो में शिथिलता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण इकाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

15. भूमि हेतु आगणनों रू0 7.82 (रू0 सात लाख बयासी हजार मात्र) का प्राविधान किया गया है । काश्तकारों को भूमि के मूल्य का भुगतान राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायें ।

16. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूॅजीगत परिव्यय 02–विमान पत्तन–आयोजनागत–800–अन्य व्यय 04–हवाई पट्टी का सुदृढ़ीकरण एवं अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्य–00– 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

17. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 364 /वि0अनु–3/2004 दिनॉक 11फरवरी,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव

संख्या– 675 /3987/स0ना0उ0/पी0एस0/(कैम्प)/2004–2005,समदिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा,देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
5. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड,देहरादून ।
7. वित्त अनुभाग–3
8. गार्ड फाइल ।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव